रू0 8000–13500 के वेतनमान वाले पदों को एक ही वेतन बैण्ड–3 (रू0 15600–39100) एवं ग्रेड वेतन (रू0 5400) में रखे जानेके सम्बन्ध में वेतन समिति 2008 की संस्तुति।

वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर राज्य के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार के निर्णय के सादृश्य पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक–08 दिसम्बर, 2008 द्वारा अनुमन्य कराया गया है। उक्तानुसार अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्न प्रावधान किये गये हैं :–

(क) रू0 8000–275–13500 के वेतनमान वाले ऐसे पद जो शत–प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं अथवा जहॉ यह वेतनमान समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में देय हो, उन्हें वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 में ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य होगा।

(ख) रू0 8000–275–13500 के वेतनमान वाले ऐसे पद जहॉ सीधी भर्ती भी हो, उन्हें वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 में ग्रेड वेतन रू0 5400 अनुमन्य होगा।

2 उपर्युक्तासार अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू0 8000–275–13500 के वेतनमान वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण निम्नानुसार हो रहा है :––

क्र0 सं0	रू0 8000–275–13500 के वेतनमान वाले पदधारकों का वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 में ग्रेड वेतन रू0 5400 में निर्धारित वेतन (रू0)		रू0 8000–275–13500 के वेतनमान वाले पदधारकों का वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 में ग्रेड वेतन रू0 5400 में निर्धारित वेतन (रू0)		अन्तर की धनराशि (रू0)
	वेतन स्तर	निर्धारित वेतन	वेतन स्तर	निर्धारित वेतन	
1	2	3	4	5	6
1	8000	20280	8000	21000	720
2	8275	20800	8275	21000	200

3	8550	21310	8550	21310	शून्य
4	8825	21820	8825	21820	शून्य
5	9100	22330	9100	22330	शून्य
इसके उपरान्त सभी वेतन स्तरों पर अन्तर शून्य है					

3. प्रदेश में रू0 8000–13500 के वेतनमान के कतिपय ऐसे पद जिनमें महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन निहित है यथा–तहसीलदार, जिला पंचायत राज अधिकारी (33 प्रतिशत पद), अभियोजन अधिकारी तथा सहायक निदेशक(बचत) आदि, जो शत–प्रतिशत पदोंन्नति के माध्यम से भरे जाते है, को वेतन बैण्ड–2 में तथा इसी वेतनमान के अन्य पद यथा–खण्ड विकास अधिकारी आदि जिन पर भर्ती हेतु पदोन्नति की व्यवस्था के साथ–साथ सीधी भर्ती से भरे जाने का भी प्राविधान है उन्हें वेतन बैण्ड–3 में रखा गया है।

4. उपर्युक्तानुसार अलग–अलग वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारित होने के फलस्वरूप पूर्व से वेतनमानों में विद्यमान समकक्षता समाप्त हो गयी है। इसके साथ ही ऐसे पद जिनमें अधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन निहित है, के पदधारकों का निम्न वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारित होने के कारण वह हीनता अनुभव कर रहें हैं।

5. उत्तरांचल राज्य द्वारा भारत सरकार की पुनरीक्षित वेतन संरचना के सादृश्य पर राज्य में अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू0 8000–13500 के वेतनमान वाले पदों को एक ही वेतन बैण्ड, वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन 5400 में रखा गया है। इस निर्णय से उत्तरांचल राज्य में उपर्युक्त प्रस्तर में इंगित समस्या उत्पन्न नहीं हुई ।

6. केन्द्र सरकार का सेवाओं का वर्गीकरण प्रदेश में लागू सेवाओं के वर्गीकरण से भिन्न है। राज्य में श्रेणी–क के पद रू0 10000–15200 के वेतनमान या इससे उच्च वेतनमान में रखे गये हैं। जबकि केन्द्र सरकार में ग्रुप–ए सेवायें रू0 8000–13500 के वेतनमान से प्रारम्भ होती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा ग्रुप–ए की सेवाओं में सीधे प्रवेश करने वाले अधिकारियों को उच्च वेतन बैण्ड में पदस्थापित किये जाने के उद्देश्य से रू0 8000–13500 के वेतनमान को वेतन बैण्ड–3 ग्रेड वेतन 5400 में तथा रू0 8000–13500 के वेतनमान के ग्रुप–ए से निम्न स्तर की

सेवाओं को वेतन बैण्ड–2 में रखा गया है। इस प्रकार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की स्थिति में भिन्नता है।

7. राज्य में पूर्व से लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत पदोन्नतीय पद का वेतनमान प्रथम/द्वितीय पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान था। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे पद जिनके पोषक पदों को पदोन्नति के पद का वेतनमान रू0 8000–13500(ऐसा पद जिस पर सीधी भर्ती भी हो) का पदोन्नतीय वेतनमान के रूप में वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो गया था उनका पूर्व में समान वेतन स्तर पर होते हुए भी पुनरीक्षित वेतन संरचना में भिन्न वेतन स्तर निर्धारित होने की स्थिति उत्पन्न हुई हैं।

8. उ0प्र0 सचिवालय के ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्हें निर्धारित सेवा अवधि के आधार पर नॉन फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500 अनुमन्य हो चुका है, उनका वेतन निर्धारण वेतन बैण्ड–2 में हो रहा है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के नॉन फंक्शनल वेतनमान रू0 8000–13500 को वेतन बैण्ड–3 में रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार पूर्व से स्थापित समकक्षता से विचलन की स्थिति उत्पन्न हुई है।

9. प्रस्तर–2 में अंकित विवरण से स्पष्ट है कि रू0 8000–13500 के वेतनमान को वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 में ग्रेड वेतन रू0 5400 में पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाये जाने पर प्रथम दो स्तरों अर्थात् रू0 8000 एवं रू0 8275 के वेतन स्तरों को छोड़कर अन्य सभी वेतन स्तरों पर वहीं वेतन निर्धारित होता है जो वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 में ग्रेड वेतन रू0 5400 में निर्धारित होता। इस प्रकार रू0 8000–13500 के वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड में रखे जाने में नगण्य वित्तीय उपाशय निहित है।

10– सेवा संगठनों द्वारा इंगित की गयी उपुर्यक्त विसंगति, केन्द्र एवं राज्य की सेवाओं के वर्गीकरण में विद्यमान भिन्नता तथा रू0 8000–13500 के वेतनमान को एक ही वेतन बैण्ड, वेतन बैण्ड–3, ग्रेड वेतन 5400 में रखे जाने में निहित नगण्य वित्तीय उपाशय को देखते हुए समिति की संस्तुति है कि रू0 8000–13500 के वेतनमान वाले सभी पदों पर एक ही वेतन बैण्ड, वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन 5400 अनुमन्य किया जाये।

परन्तु ऐसे पद जिनके पदधारकों को समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत तृतीय स्तरोन्नयन के रूप में रू0 8000–13500 का वैयक्तिक वेतनमान

(पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400/–) अनुमन्य हो और इन पदधारकों के लिये इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध न हो तो ऐसे मामलों में रू0 8000–13500 के वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन 5400/– के साथ वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) में रखा जायेगा।

(आलोक रंजन)
सदस्य।

(बी0 एन0 दीक्षित)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य–सचिव।

(एस0 ए0 टी0 रिज़वी)
अध्यक्ष।

लखनऊ
जनवरी 20, 2009